

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर
बेईजलास- श्री दीपांशु सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद 23/2019

वादी

बनाम

प्रतिवादी

हीर खां पुत्र फतू खां जाति मुसलमान
सिपाही आयु 56 साल निवासी देहली
दरवाजा बाहर कायमखानियों का मोहल्ला
नागौर जसिये आम नुल्लियार श्री बलदेवराम
पुत्र श्री लिखमाराम जाति जाट आयु 38
निवासी नागौर मोहल्ला मानासर तहसील ठ
जिला नागौर।

राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार
नागौर

उपस्थिति :-

1. श्री रामेश्वरलाल वकील प्रार्थी।
2. श्री कुन्दनसिंह आचिणा वकील अप्रार्थी।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूरती व स्थाई व्यादेश
वाद पत्र अधीन धारा 88, 53 व 188 रा. टिनेसी अधिनियम

आदेश

दिनांक :- 14/8/2019

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इशतदुआ की कि, वादी एक साधारण कृषक है तथा बड़े के समय से ही वादी व उस के परिवार का एक मात्र जीवन ध्यान का साधन कृषि कार्य व पशु पालन करना रहा है जिससे होने वाली आय से वादी अपना तथा अपने परिवार का जीवन साधन करता आ रहा है। वादी स्व. फतू खां का जायन्दा पुत्र व स्व. उवान खां का पौत्र रहा है। अर्थात् वादी के पिता स्व. फतू खां वादी के दादा स्व. जवान खां के पुत्र रहे हैं।


यह है कि, वादी के दादा स्व. जवान खां पुत्र मोती खां की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि नागौर राजस्व क्षेत्र में स्थित रही है उक्त नागौर की राजस्व भूमि के पुराना खसरा नम्बर 256 में रकबा 5 बीघा भूमि वादी के दादा जवान खां के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा मौका पर बतौर कब्जा काश्त खातेदार के रूप में रहा तथा वर्तमान में वादी का रहता बला आ रहा है। उक्त वादी के दादा व स्व. जवान खां के नाम खातेदारी में दर्ज भूमि किसिम बाराणी 4 थी जिस वा इन्द्राज राजस्व खतौनी सम्वत 1981 के खाता संख्या 10 पर दर्ज रहा। नकल खतौनी सम्वत 1981 खाता संख्या 10 ग्राम नागौर के वाद के साथ पेश है।

यह है कि, वादी के बड़े की खसरा नम्बर 256 मौजा नागौर राजस्व भूमि 5 बीघा के मौजूदा पञ्जौरा का विवरण निम्न प्रकार से है :-

सहायक कलक्टर
(S.D.O.), नागौर

उत्तर - खसरा नम्बर 256 अर्थात् नये खसरा नम्बर 527 का आंशिक भाग व खसरा नम्बर 526 का रकबा जहां आबादी बसी हुई है।
दक्षिण - डेह जाने वाली सड़क
पूर्व - गुडला जाने की सड़क
पश्चिम - इसी खसरा नम्बर 256 जिस के नये खसरा नम्बर 527 का बकाया रकबा मे से श्री जगराम इत्यादि की पट्टा सुद जायगा।
उपरोक्त भूमि का सम्पूर्ण नाप उत्तरी भुजा 550 फुट दक्षिणी भुजा 550 फुट पूर्व भुजा 150 फुट व पश्चिम भुजा 170 फुट है।

यह है कि, राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन भू प्रबंध की कार्यवाही की उस को कोई जानकारी वादी के बड़े को नहीं दी गई तथा राजस्व रेकार्ड की पूर्व में वादी के बड़े को आशयकता भी नहीं पडी मगर दौराने नवीन भू प्रबंध कार्यवाही के समय गत खसरा नम्बर 256 को दो भागों में दर्ज करते हुए वादी के दादा स्व जवान खा के नाम दर्ज खातेदारी की 5 बीघा एक खसरा नम्बर दर्ज किया जाना चाहिए था तथा उक्त खसरा की शेष भूमि 19 बीघा 11 बिस्वा रही उस का दूसरा खसरा अंगोर भूमि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था जो नहीं किया। जब कि वादी के दादा के खातेदारी की भूमि व अंगोर की भूमि का राजस्व रेकार्ड अलग-अलग दर्ज रहा है इस कारण सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों को विवादित वादी के दादा के नाम खातेदारी की 5 बीघा भूमि की अंगोर की भूमि में शामिल कर रेकार्ड में इन्द्राज करने का अधिकार नहीं था उस के बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने पद व अधिकारो का दुरुपयोग करते हुए स्व जवान खा के खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 256 की भूमि 5 बीघा को उक्त खसरा नम्बर की शेष भूमि के शामिल करते हुए अंगोर की भूमि में दर्ज कर दिया गया व खसरा नम्बर 527 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर बनाते हुए इसस सम्पूर्ण भूमि की अंगोर की भूमि का भाग होना दर्ज किया गया जो पूर्ण रूप से गलत था व रहा तथा है क्यो कि वर्तमान खसरा नम्बर 527 की राजस्व भूमि दो टुकडों में थी जिसमें एक टुकडा खसरा नम्बर 256 रकबा 5 बीघा किस्म बाराणी 4 खाता संख्या 10 स्व जवान खा के नाम खातेदारी में दर्ज था व दूसरा टुकडा खसरा नम्बर 256 भिन रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 46 अंगोर के रूप में था इस कारण दोनो भूमियों की किस्म अलग-अलग रही है। अंगोर भूमि 19 बीघा 11 बिस्वा थाम्बोलाई नाडी के काम की रही है तथा 5 बीघा विवादित भूमि वादी के दादा जवान खा के कब्जे काश्त व खातेदारी रही है जिस को पूर्ण जानकारी राजस्व कर्मचारियों को रही उसके बावजूद सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा बटनीयति से नवीन खसरा नम्बर 527 सेटलमेंट के समय कायम कर 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि अंगोर व 1 बीघा 7 बिस्वा भूमे सड़क के रूप में दर्ज की गई है जो इन्द्राज संवत् 2020 में किया गया नकल नक्शा संवत् 1979 व पूरा खसरा नम्बर 256 व नया खसरा नम्बर 527 तथा सन 1958-59 जमाबंदी प्रस्तुत की जा रही है। उपरोक्त प्रकार से वादी के दादा स्व जवान खा के खातेदारी खसरा नम्बर 256 की 5 बीघा भूमि खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को नवीन खसरा नम्बर 527 के रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा में शामिल करने या अंगोर के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वादी के दादा स्व जवान खा की उक्त 5 बीघा भूमि कभी अंगोर की भूमि के काम नहीं आई व ही आज दिन नहीं पानी का बहाव उक्त रकबा 5 बीघा भूमि के क्षेत्र से होकर अंगोर वाली भूमि में जाता ही है इस के विपरीत कृषि कार्य हेतु बड़े के समय से ही ली जाती रही है तथा निवास के कार्य हेतु भी गडरो के समय से


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), नागौर

रहती चली आई है जहां तक विवादित भूमि का गलत इन्द्राज के बारे में जानकारी का प्रश्न है तो अभी हाल ही में गत वर्ष जब वादी की पत्नि को शुगर की बीमारी हो जाने से उस का उचित ईलाज करवाने हेतु रूपयो की आवश्यकता हुई तो वादी ने अपने उक्त वसीयत सुदा 5 बीघा खेत की भूमि में से कुछ भाग बेचने की कोशिश की तब रेकार्ड की नकल लेने गए तो पता चला कि उपरोक्त बड़े की 5 बीघा भूमि का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खतौनी इत्यादि वादी के बड़ेरे अर्थात् जवान खां फतू खां या वादी के नाम दर्ज नहीं है तथा मात्र मौका पर कब्जा है, बतलाया गया जिस पर वादी द्वारा जरिए आम मुखियतार माननीय राजस्व मंत्री महोदय राज सरकार जयपुर को समस्त दरस्तावेजात के साथ प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में भेजा जिस पर वादी को लम्बे समय इन्तेजार के बाद यह जानकारी मौखिक रूप से दी गई कि उपरोक्त राजस्व रेकार्ड की गलत इन्द्राजी के बारे में उसे दुरुस्त करवाने हेतु राक्षम न्यायालय में वाद दायर करना पड़ेगा सीधे ही रेकार्ड को दुरुस्त करना उचित नहीं बतलाया गया इस कारण वादी के द्वारा गैर कानूनी व गलत इन्द्राज की जानकारी वर्ष 2018 के माह सितम्बर में प्रथम बार होने से उचित समय राजस्व मंत्री को सूचना करने उनके कर्मचारियों द्वारा वाद दायर करना बतलाने के तुरन्त बाद यह वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि, प्रार्थना वादी है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से पारित की जावे -

क. कि, वादग्रस्त पुरतैनी खेत खसरा नम्बर 256 की 5 बीघा भूमि जिस का पूर्ण विवरण वाद पत्र के अनु संख्या 7 में उल्लेखित किया गया है जिस को गत सेटलमेंट में खसरा नम्बर 527 के रूप में नया खसरा नम्बर इन्द्राज किया जाकर 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि के रूप में शामिल किया गया व अंगोर की भूमि के रूप में शामिल किया गया है को वादी की खातेदारी की घोषित की जावे तथा राजस्व रेकार्ड की दुरुस्ती की जा कर पूर्व अनुसार उक्त विवादित 5 बीघा भूमि को अलग टुकड़े के रूप में कायम किया जाकर रेकार्ड दुरुस्ती की जावे।

ख. कि, वादी के उपरोक्त विवादित 5 बीघा भूमि को राजस्व रेकार्ड में अलग से अगल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी की जावे।

ग. कि, वादी के कब्जा काशत खातेदारी में देखल अन्दाजी करने व कराने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदा के लिए रोका जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत कर लिखा कि हल्का पटवारी कस्बा नागौर की रिपोर्ट के अनुसार कस्बा नागौर का खसरा नम्बर 527 सम्वत 1981 में गत खसरा नम्बर 256 मीन रकबा 5 बीघा में जवान खां पुत्र मोती खां जाति सिपाही निवासी नागौर के नाम से खातेदारी दर्ज रही है व इसी खसरा नम्बर के शेष भाग रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा गैर मुमकिन अंगोर दर्ज रही है। गत खसरा नम्बर 256 के वर्तमान में 1 बीघा 7 बिस्वा गैर मुमकिन सडक बनी है एवं रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु सूचना न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई है। वादी ने वाद के समर्थन में हीरखां एवं बलदेवशरम व जगराम के बयान करवाये एवं दरस्तावेजी सबूत में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 23 तक प्रस्तुत किये हैं।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रवली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। वादी वकील ने दौरान बहस बताया कि वादी एक साधारण कृषक है तथा बड़ेरे के समय से ही वादी व उसलें परिवार का एक मात्र जीवन यापन का साधन कृषि कार्य एवं पशुपालन करना रहा है। जिसकी आय से वादी अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता आ


 सहायक कमिश्नर
 (SDO), नागौर

रहा है। वादी स्व. फतु खां का जायन्दा पुत्र व स्व. जवान खां का पोत्र रहा है। वादी के दादा स्व. जवान खां पुत्र मोती खां की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि नागौर राजस्व धंत्र में स्थित है। उक्त राजस्व भूमि के पुराना खसरा नम्बर 256 में रकबा 5 बीघा भूमि वादी के दादा जवान खां के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा मौके पर बतौर कब्जा काश्त खातेदार के रूप में रहा है तथा वर्तमान में वादी का रहता चला आ रहा है। विवादित गत खसरा नम्बर 256 मौजा नागौर स्थित राजस्व भूमि 5 बीघा वादी के दादा स्व. जवान खां के नाम व कब्जा काश्त की रही है। वादी के दादा स्व. जवान खां ने अपने उपरोक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि को अपने जायन्दा पुत्र अर्थात् वादी के पिता स्व. फतु खां को अपने जीवन काल में ही सम्वत् 2011 की बैसाख सुदी सातम के वसीयतनामा के जरिये वसीयत कर दिया एवं सम्वत् 2012 में स्व. जवान खां की मृत्यु हो जाने से उपरोक्त खेत वादी के पिता स्व. फतु खां के कब्जा काश्त का रहता चला आया। स्व. फतु खां ने उपरोक्त विवादित खेत खसरा नम्बर 256 के 5 बीघा भूमि को जरिये वसीयत नामा दिनांक 2.7.2001 को निष्पादित कर वादी को वसीयत किया एवं ऐसी वसीयत के पश्चात् फतु खां का देहान्त 9.2.02 को हो गया। जिस कारण वादी उपरोक्त वसीयतसुदा रकबे पर काबिज है एवं काश्त करता आ रहा है।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन मू प्रबंध की कार्यवाही की उसकी कोई जानकारी वादी के बंडेर को नहीं दी गई थी तथा राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व में वादी के बंडेर को आवश्यकता भी नहीं पड़ी मगर दोराने नवीन मू प्रबंध कार्यवाही के समय गत खसरा नम्बर 256 को दो भागों में दर्ज करते हुए वादी के दादा स्व. जवान खां के नाम दर्ज खातेदारी की 5 बीघा का एक खसरा नम्बर अलग से दर्ज किया जाना चाहिये था तथा उक्त खसरा कि शेष भूमि 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि रही उसका दुसरा खसरा नम्बर अंगोर भूमि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया। जबकि वादी के दादा के खातेदारी की भूमि व अंगोर की भूमि का राजस्व रेकॉर्ड अलग अलग दर्ज रहा है। इस कारण सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों को विवादित वादी के दादा के नाम खातेदारी की 5 बीघा भूमि को अंगोर की भूमि में शामिल कर रेकॉर्ड में इन्दाज करने का अधिकार नहीं था। इसमें बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने पद का व अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए स्व. जवान खां के खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 256 की 5 बीघा भूमि को उक्त खसरा की शेष भूमि में शामिल करते हुए अंगोर की भूमि में दर्ज कर दिया। खसरा नम्बर 527 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर बनाते हुए सम्पूर्ण भूमि को अंगोर की भूमि का भाग होना दर्ज किया। जो पूर्ण रूप से गलत किया। क्योंकि वर्तमान खसरा नम्बर 527 की राजस्व भूमि दो टुकड़ों में थी। जिसमें एक टुकड़ा खसरा नम्बर 256 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी खेतानम्बर 10 स्व. जवान खां के नाम खातेदारी में दर्ज था व दुसरा टुकड़ा खसरा नम्बर 256 मीन रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 अंगोर के रूप में दर्ज था। इस कारण दोनों भूमियों की किस्म अलग अलग रही है। खसरा नम्बर 256 की 5 बीघा भूमि वादी के दादा जवान खां के कब्जे काश्त व खातेदारी में रही जिसकी पूर्ण जागकारी राजस्व कर्मचारियों को रही थी। उसके बावजूद सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा बदनियती से नवीन खसरा नम्बर 527 सेटलमेन्ट के समय कायम कर 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि अंगोर व 1 बीघा 7 बिस्वा भूमे सडक के रूप में दर्ज की गई जो गलत दर्ज की गई थी। राजकीय पैराकोर ने वादी वकील की बहस का खण्डन किया एवं वादी का वाद खारिज करने की ईस्तदुआ की।


वादी वकील ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2010 (1) पृष्ठ: 554 के निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs, 88 & 188-Suit decreed against the appellant & respondent Nos.2 to 8 - Land recorded with equal share in the name of 5 co-tenants - Plaintiff failed to prove his 2/5 share in the land - Plaintiff not produced any gift deed, sale deed or will executed by deceased 'G' - Settlement department


राजस्व कर्मचारियों
(S.D.O.) नागौर

was not competent to carry out the division among the co-tenants- No illegal act can be done on the basis of agreement between both the parties-Settlement department cannot change the existing entries-Partition can be done only in final decree-Held, Courts below have committed illegality in passing the judgment & are liable to be set aside.

Admittedly the disputed lands are the lands of co-tenancy. There are five co-tenants of the suit land Heera (deceased), Nanga, Shyonath, Gopi and Birdu (plaintiff). It is alleged that co-tenant Gopi (deceased) gave his share of lands to the plaintiff-respondent but how and in what manner was this share of Gopi (deceased) given to plaintiff-respondent is not made out. There is neither any gift deed nor any sale deed nor any will nor any instrument purported to transfer the share of Gopi to plaintiff-respondent in the disputed lands. So the claim of the which is respondent to have two-fifths share in the disputed lands of co-tenancy which is recorded equally in the khatadari right of five co-tenants, is unsubstantiated and unproved. Additionally, the Trial Court and First Appellate Court of Revenue Appellate Authority has discovered that the land of co-tenancy was divided among the co-tenants by the Settlement Department; but neither the Sub-Divisional officer nor Revenue Appellate has examined the legality of such division of holdings carried out by the Settlement Department. Division of holdings of co-tenancy rights is a function of a Court of Assistant Collector to be exercised under Section 53 of the Act. No officer of Settlement Department has any right under Section 53 of the Act to carry out division/partition among the recorded co-tenants even if such co-tenants allegedly agree in such division. No illegal act can be done by any officer on the basis of alleged agreement of consensus of both the parties Division of agricultural holdings is done in a competent Revenue Court where on the basis of pleadings of rival parties, necessary issues are framed, evidence led and thereafter preliminary and final decree are issued for the proper division of the disputed lands of co-tenancy; but this process of law seems to have been given a go-by and both the lower Courts have shut their eyes to this apparent illegality committed by the Settlement Department. Needless to emphasise that the Settlement Department cannot change entries in the existing revenue record and the act of Settlement Department in making division of holdings among the co-tenants is patently beyond its jurisdiction as has consistently been held by this Court as well as Hon'ble Rajasthan High Court, umpteenth number of times - e.g. in 1997 RRD 13(a), 2003 RBJ 118, **2008(1) RRT 151 (H.C.)** and 2009 RBJ 579 which are only a few of the citations to drive the point home.

The suit filed by the plaintiff for declaration of khatadari right in the western side of the disputed lands is again, in fact, an effort to further divide the land under the garb of declaration of the right. Whether a co-tenant is entitled to the left side of the disputed land or right side of the disputed land, can be done only in the final


महायक कलेक्टर
(S.D.O.), नागौर

decree issued under Section 53 of the Act, wherein site report of Tehsildar is summoned as per provisions of Rules of 18 to 21 of the Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules, 1955 subsequent to grant of a preliminary decree in this regard. This cannot be done casually and cavalierly in a declaratory suit which basically, in this case, is an offshoot of dispute of the partition which was illegally carried out by the Settlement Department.

In view of the foregoing discussion the concurring judgments of both the lower Court are patently illegal and as such deserve to be quashed. The judgment dated 20.09.2006 of Revenue Appellate Authority, Jaipur and judgment and decree dated 28.06.2005 of Sub-Divisional Officer, Chomu are set aside. The parties are free to effect division of the lands of their co-tenants as discussed above by filing a suit for division of holdings under Section 53 of the Act before the competent Revenue Court of jurisdiction.

आरआरटी 2008 (1) पृष्ठ 151 से 154, आरआरटी 1977 पृष्ठ 656 से 659 निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :- Rajasthan Tenancy Act, 1955 -Sec. 88-Suit for declaration-Petitioners declared khatedar tenant of Kh. No. 734-RAA reversed the judgment & upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No.4-Respondent No. 4 should have file an independent suit-Held, RAA & Board were not justified in reversing the judgment & decree.

The SDO passed the first judgement by considering the statement of PW-1 Bhura, PW-2 Bodu Ram and PW-3 Prabhati Ram and PW-4 Ram and relevant documents including Ex.P-1 to P-8 as also Ex.D-1 to Ex.D-6. The SDO in his order noted that Prabhati clearly indicated that khasra No. 734 which at the time of settlement was entered in the name of the petitioners was earlier recorded in the name of the petitioners. The Settlement Department could not have changed the khatedari by entering the name of respondent No. 4 only on the basis of their assertion that they were in cultivatory possession of the said land. If at all the respondent No.4 was claiming right over the land in dispute, the proper course for him was to get his rights declared and accordingly corrected. What there-fore has to be seen is whether the view taken by the SDO suffer from any such legal error as could have justified interference by the RAA and Board. The RAA has solely based its order on so called admission made by the petitioners that they were not in possession of Khasra No. 734 which fact has been certified by Sarpanch also. The RAA therefore concluded that the respondents were bound by these. It was solely on the basis of this that the judgment passed by the SDO was reversed. When the matter went to the Board, the Board also followed the suit and noted that the petitioners and acknowledged possession on Mangla which fact was confirmed by Sarpanch also. The Board therefore also fell into the same error by recording a finding that the entry of respondent No. 4 as khatedar tenant of khasra No. 734 measuring 0.70 hectares was made with the consent of the petitioners


सहायक कमिश्नर
(SDO), जापुर

The respondents have not been able to show as to what right the Settlement has to change the existing entries in the revenue records. The Board as also the RAA has noted the fact that khasra No. 734 was entered in the khatadari of the petitioners. The Settlement was therefore bound to reflect the same position with regard to the records of rights which existed at the material time. It could neither delete the name of any khatedar nor could it change any such entry. The consent which according to the respondents was given by the petitioners to the Settlement could not afford any basis to the settlement for making changes in the records of rights particularly when they also admitted possession of the respondent No. 4/ his father in the disputed land. The petitioners have alleged that the so called consent was false and fabricated. The RAA and the Board could not have therefore attached any sanctity to such consent. If at all the respondent No. 4 wanted to get his title on the basis of possession, if at all there was one or the admission made by the petitioners, the only mode available to him was to file his independent revenue suit to get his title/rights declared.

अभ्यर्थितों 1984 पू. 143, 146 निम्न न्यायिक दृष्टि प्रस्तुत किये हैं :- राज. Tenancy Act, Secs. 37 & 188- C.P.C., Secs. 68 to 72 (repealed in 56)- In suit for P.I., ptff. alleged that suit land, purchased by him on 27.12.1961 from 'B' who purchased in auction of execution of a decree passed by C.C. - Suit, decreed by lower courts- Whether sale by auction by C.C., permissible in view of Sec. 37-Held, suit land, not liable for sale or attachment under process of C.C., - No title, passed to 'B' on basis of sale by auction and be could not legally sell land of ptff.

Before the year 1956 section 68 to 72 were provided in the Civil Procedure Code. These sections have been repealed by amendment Act No. 66 of 1956. Looking to the provisions of these sections of the Civil Procedure Code, it transpires that the agricultural holdings of a tenant (judgment debtor) were liable for attachment and sale in execution of a decree passed by the Civil Court. The Rajasthan Tenancy Act came into force in the year 1955 wherein section 37 was also inserted we are of the opinion that looking to the bar for attachment and sale in process of Civil Court provided in section 37 of the R.T. Act, 1955 it was felt necessary by the legislature to repeal section 68 to 72 so that there may not be any conflicting provision in the different acts.

In the light of our observations with regard to the said provision contained in Civil Procedure Code and Rajasthan Tenancy Act we are of the opinion that the rights of a tenant on a holding are not liable to any attachment and sale by process of any Civil Court.

Reliance can be placed on 1960-RIW-458. The relevant portion of this decision is reproduced below:-

"Incidentally it came to our notice that although when the Rajasthan Tenancy Act came into force, sec. 68 to 72 of the Civil Procedure Code and the Third


राजस्थान राज्य
(Rajasthan State)

Schedule were in force, but subsequently, they have been repealed by the Code of Civil Procedure Amendment Act No. 66 of 1956. The repeal of the provisions regarding the transfer of the decrees for execution to the Collector read with the provisions of sec. 37 of the Tenancy Act have of course resulted in a situation where the tenancy rights cannot at all be seized, attachment or sold in connection with execution of civil decrees and have thus placed serious handicaps on the rights of the decree holders."

In view of section 37 of the R.T. Act the rights of a tenant in a holding are not liable to seizure, attachment or sale by a process of the Civil Court has also not liable to seizure, attachment or sale by a process of the Civil Court has also been held in the following decisions of the Hon'ble Rajasthan High Court :-

1982 R.R.D. 246, A.I.R. 1972 Rajasthan 116.

In the light of observations made above we are of the opinion that the suit land was not liable for sale or attachment under process of the Civil Courts.

In the following authorities it has been held that any sale which is not in accordance with the law shall be held void.


1982 R.R.D. 607, 1980 R.R.D. 646, 1978 W.I.N. 466.

As we have observed above that the disputed sale by auction of the suit land was against the bar of section 37 of the Act. So under these circumstances no title or right passed to shri Bhanwar Lal Sogani in the suit land on the basis of sale by auction and so Shri Sogani was not authorized to sale the suit land to plaintiff having a defective. The Sale in favour of plaintiff vested no title in him.

आरआरडी 2001 पृष्ठ 423, आरआरडी 14.4.12 निम्न न्यायिक दृष्टि प्रस्तुत किये है :-
Rajasthan Tenancy Act, Section 232- Reference - Suit filed by the petitioners as per Sections 88,89 asserting that they are in cultivatory possession of the land, part of Kh. No. 65 but remained unrecorded due to error of Settlement Deptt. - Suit decreed by Asstt. Collector- Collector made reference which was accepted by the Board on ground that the petitioners failed to prove cultivatory possession in Svt. 2012- Held, there was sufficient evidence on record to reach at a conclusion that the disputed land was not entered in revenue record at the time of Settlement, and at the time of enforcement of the R.T. Act in 1955, the same was under cultivatory possession of the plaintiff- petitioner - Trial court had inspected the site and found cultivatory possession of plaintiff- petitioners- Neighbouring tenants had also stated about possession of the petitioners since long - Order impugned set aside.

The Board of Revenue, by the judgment dated 03.11.1997 accepted the reference made to it on the count that sufficient evidence was not available to reach at the conclusion, that is Samvat 2012, the plaintiff-petitioners were having any cultivatory possession on the land in question.

The Board of Revenue, so far as the Issue No.1 is concerned accepted the finding given by the Assistant Collector, that the land in question was not entered in


महायक कलेक्टर
(S.D.O.), जगौर

the revenue record at the time of settlement. As such, the only question deserves to be considered is whether the plaintiff-petitioners were having cultivatory possession on the land in question or not when the Act of 1955 came into force? To establish the possession, the testimony of PW-4 Chainaram, PW-5 Leeraram and PW-6 Durgaram was examined. These persons are the tenants of neighboring lands. The Assistant Collector also made a site inspection and by relying upon the statements of tenants of neighboring lands and also the site inspection and by relying upon the statements of tenants of neighboring lands and also the site inspection gave a definite finding about the possession of the plaintiff-petitioners, no the land in question.

The Board of Revenue under the order impugned has not believed the tenants of the neighboring lands, who deposed in favour of the plaintiff-petitioners but held that the evidence given by them is not sufficient to give a definite finding about the possession of the petitioners.

I do not find any just reason to reach at such findings. True it is, that no documentary evidence is produced by the plaintiff-petitioners; however, the ocular evidence adduced is also, required to be believed, if that is not otherwise established as false or not trustworthy.

The neighboring tenants in quite unambiguous terms stated about possession of the petitioners since long. No reason as a matter of fact exists to disbelieve them. Beside the above, while considering the issue No.1, the trial Court examined several documents and also the witnesses adduced by the defendant's respondents and finding for issue No.2 is substantiated by Thant too. As such the findings of the Assistant Collector are based on appreciation of the evidence available. Such definite finding was not open for interference, merely by saying that the same is not adequate. The Board too should have prescribed cogent reasons for that.

On examination of record, I am of the opinion that sufficient evidence was available on record to reach at a conclusion, that the land in dispute was not entered in revenue record, at the time of settlement, and at the time of enforcement of the Act of 1955, the same was under cultivator possession of the plaintiff-petitioners.


Accordingly, this petition for writ is allowed. The judgment dated 03.11.1997 passed by the Board of Revenue, while accepting the reference made to it by the Collector, Barmer, as per the provisions of Section 232 of the Act of 1955 is set aside. The judgment and the decree dated 20.02.1990 passed by the Assistant Collector stand restored.

बहस वकील वादी पर गनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल खतौनी संवत् 1981 प्रदर्श 1 में मौजा नागौर के खसरा नम्बर 256 मीन रकबा 5 बीघा जवान खां बेटो गोली खां जाटरो सिपाही बासी नागौर की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल खतौनी मौजा नागौर प्रदर्श 16 संवत् 1981 के क्रम संख्या 10 पर वादी के दादा जवान खां बेटा मातीखां के नाम 5 बीघा खसरा नम्बर 256 में रकबा 5 बीघा खातेदारी में दर्ज है। वादी के दादा स्व. जवान खां के खातेदारी के क्षेत्र खसरा नम्बर


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), नागौर

256 मीन 5 बीघा खातेदारी में दर्ज एकबे को सेटलमेंट अधिकारियों/कर्मचारियों ने बेना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन की है, ऐसा उसके करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से वादी वकील की बहस को बल मिलता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड व बयानात से भी वादी के वाद को बल मिलता है।

अतः वादी का वाद इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि सेटलमेंट द्वारा सन्वत 2020 में काश्तकार की भूमि खसरा नम्बर 256 एकबा 5 बीघा भूमि को अंगोर दर्ज किया गया, जो की किस्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है जिसका अधिकार धारा 42 आरटी एक्ट के तहत सेटलमेंट को नहीं है। अतः रेकॉर्ड में किये गये इस परिवर्तन को अपास्त किया जाता है व रेकॉर्ड शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार डिफ्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक 14/8/2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
(S.D.O.) Nagaur

डिकरी ब मुकदमे इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

मुकाम नागौर बडजलास दीपाशू सांगवान, आर. ए. एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार, नागौर

दौरखा पुत्र कतू खां जाति मुसलमान सिपाही आयु 56 साल निवासी देहली दरवाजा बाहर कायमस्थानियों का मोहल्ला नागौर जसिये आम मुख्त्यार श्री बलदेवशम पुत्र श्री लिखनाराम जाति जाट आयु 39 साल निवासी नागौर मोहल्ला मानासर तहसील व जिला नागौर।

मुकदमा नं 23 सन् 2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रू-ब-रू- बहाजरी- - - - - भिनजानिव मुदइ भिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि - सेटलमेन्ट द्वारा 2020 में कारतकार की भूमि खसरा नम्बर 256 भिन रकबा 5 बोघा भूमि को अंगोर दर्ज किया गया जो की फिस्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है जिराक, अधिकार धारा 42 आस्टी एक्ट के तहत सेटलमेन्ट को नहीं है। अतः रेकर्ड में किये गये इस परिवर्तन को अपास्त किया जाता है व रेकर्ड शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं।

बीज - - - - - मुबलिंग - - - - - बाबत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीक व तारीक वधुलवाबी तक, - - - - - को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **14-08-19** को जारी की गई।


(दीपाशू सांगवान)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

मुहर	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
मुदई	-	-	स्टाम्प वकालत नाम	-	-
स्टाम्प अजीदावा	-	-	स्टाम्प अर्जी	-	-
स्टाम्प वकालत नाम	-	-	गहनताना वकील पर	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
महनताना वकील	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	बबत इजराय हुकमानाम	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	मुतफारिक	-	-
बबत इजराय हुकमानाम	-	-		-	-
मुतफारिक	-	-	मीजान	-	-

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो करीकेन का, चाहे डिकरी के जसिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।


(दीपाशू सांगवान)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर
सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर